

232

ਅਮਰਪਿੰਡ ਸਿੰਘ,
ਵਿਦਾਤ ਜਾਨਿਕਾ,
ਤੁਭਵ ਥਾਸਨਾ।

九

卷之五

राज्य लंगरीय विळास अभियान,
उपर्युक्ता

लगारीदा झेड्गार एवं गरीबी

संस्कृत वार्ता विभाग।

पितृय: पितृय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टररेलकर्ग, नाला निर्माण एवं अल्प सामाज्य सुरक्षिताओं वो फ्यापना योजना" के कार्यालयवत हेतु अनुदान संख्या- 37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किरत की पितृय स्वीकृति।

साहित्य

5. उपर घट्टराखि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विविक रास्तानदरा सम्पूर्ण 32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/

6. दृष्टवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए ली जायेगी। प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्य वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अध्याय-12 के पदस्तर-318 में दर्जित दृष्टवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

विनाशक विद्या, विनाशक विद्या, विनाशक विद्या,

12

7. उक्त धनराशि राज्यों हांग के बाहर के निवासी विदेशी शहरों और देशों के अनुसार उपयोगिता तारंडीत रूप में देश के जनजनों द्वारा वीकृत परियोजनाओं में से विशेषज्ञों, मानव व शूगंधिता आदि को मुख्योचतुर बरों का कार्य कराते हैं। इस गठन के बहुत कार्य जारी हो कि वे उपयोग शब्दालंब से ही विप्राचित समय तोना में पूर्ण हो जाये तथा उपयोग लाभ सम्बलित स्थानीय विकास के लिए सके।
8. उक्त धनराशि यथा राज्य सम्बन्धित हांग (विभिन्न इकाई) के उपलब्ध दरमाएँ जारी रखने पर राज्य परियोजना को जिला स्तरीय शासी नियन्त्रण से अनुमोदित कराने के उपरांत ही विभिन्न कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद के रौप्यकृत जैसे जारी हैं, उसका दरमा प्रत्येक देश के जैसे कार्य/मद में विकास जायेगा। जिसे प्रयोग के बाबत अनुसूच्य में दर्शाया होगा। उक्त कार्यों का कर वित्तीय विषयों के अनुसार विकास जायेगा।
10. स्पीकृत की जारी धनराशि देश/राज्य/उत्तराखण्ड/दिल्ली राज्यों में जौर द्वारा वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकताद्वारा आहरित कर व्यवस्था जारी होगी।
11. उक्त परियोजना की माजाओं को विभिन्न के राज्य रुपांचल विभागों के बाबत सम्बन्धित हांग का होगा।
12. स्पीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तानुसूचिका है। राज्यसभा/प्राविधिकी/संघराजी/सम्बन्ध पर शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के अनुसूच्य किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि सम्बलित विभिन्न इकाई को अनुसूचित करने से पूर्ण सूझा हांग यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रशंसनीय परियोजनामों के संग्रहीतों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुसूच्य है तदों उक्तकी कार्य विशेष की लिंगत सीमा को छोड़ करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के व्यवस्था को/कम करके अपेक्षा प्राविधिकी को बन करके लागत आंकित नहीं की गई है।
14. उक्त धनराशि यथासमय सम्बलित हांग इकाई (विभिन्न इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बलित विभिन्न इकाई को अनुसूचित करने से पूर्ण यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनाओं विभिन्न स्पीकृत धनराशि व्याप्ति हेतु दूरों में राज्य सरकार भवित्व किसी भव्य चौत से धनराशि स्पीकृत नहीं की गई है तथा न हो यह कार्य वित्ती मंत्री कार्य योजना में सम्मिलित है। जिससे कि शासकीय धन का दुर्घटांग न हो यादे, अवश्य की लिंगत में स्पीकृत धनराशि उत्तराखण्ड राज्यों में जमा करकर शासन को सूचित किया जायेगा। प्रशंसनीय परियोजना से सम्बलित कार्यों की दिशानुसूचि/पुनरावृद्धि न हो, यह सूझा/हांग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
15. उक्त धनराशि का माहरण निदेशक, राज्य वार्गीय विभासा अधिकारण, 30000, लखनऊ द्वारा संधिय/प्रभुच संधिय अथवा विशेष संधिय, वर्गीय रोजगार एवं नरीकी उन्नयन आर्कन दिभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहरताकर्त्तव्यपरान्त विभाग जायेगा।
16. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यालय), महालेखाकार (दौला), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आदेश की प्रति के साथ योगागार का भाग, बाठचर संघर्ष, तिथि तथा लेधारीर्वक की सूचना एवं वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. इस धनराशि का उपयोग धातु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन की उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुख शासन को धापस करनी होगी।

15. रायकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तो ई धनराशि आधिक की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक रायग हो सके।
2. असुप्रत्यय पाल दिनेय वर्ष 2015-16 में अनुदान संदर्भ-37 के अन्तर्गत योजनान्वयन प्राधिकारिक बजट में उपक्रम धनराशि से लेखांशीर्थक "221-शहरी विकास-आयोजनागत-04 गल्डी वरितर्थों का विकास-051-निर्माण-03-मूलिक वरितर्थों तथा अत्यसंध्यक बाहुल्य वरितर्थों में सीधी 10 रुड़/इंप्टररताकिंग नामी आदि का निर्माण-35-पूजीगत परितर्पणतर्थों के सूचन हेतु अनुदान" के नामे कुला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संदर्भ-2/2015/दी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 य समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- सुनावनक: यथोक्ता।

अधीक्ष.
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संदर्भ-117/2015/2095(1)/69-1-2015 दिनांक:

- प्रतिलिपि, विज्ञलिक्षित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- महालेखाकार (लेखा राधे हक्कदारी), प्रश्न, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडु भाग, इलाहाबाद।
 - विदेशक, इशानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लैस, तियिल लालन, इलाहाबाद।
 - सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मत्तन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
 - जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बहराइच।
 - मुख्य कोषधिकारी, जगहर भवन-संख्यनं।
 - वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
 - विधायक अनुभाग 4, 30प्र० शासन।
 - वित्त विभाग, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, सधनऊ।
 - सहायक देव सारठी, सूडा को विभागीय देवसार्थी पर अपलोड कराने हेतु।
 - गांड काला/लम्बार सहायक/बजट समन्वयक।

भाजा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

क्र०	उपयोग का नाम	निकाय/ लग्न पंचायत का नाम।	वर्ती/वर्ते का नाम/कार्य का विवरण।	प्र. योजना को खुल खाना।	दिवीय/जीविम किसी के द्वा रा स्वीकृत योग्य प्रबन्ध।
1	2	3	4	5	6
1.	बहुरुच	ज०प०, जरबल	ज०० वैराजी में लड़न के मकान से दूरी के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों एवं इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	7.30	3.15
2.	तदैव	तदैव	ज०० तकिया में बैलाश के मकान से दूरी के एवं लकड़ी घौसिया व हस्त भोजन सदे के मकान होते हुये मुख्य विकासी याते के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	17.23	3.45
3.	तदैव	तदैव	ज०० कट्टा उत्तरी में खलील विकास के मकान से जग्ग चाहुल सीमा तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	15.23	2.63
4.	तदैव	तदैव	ज०० अहमद शाह नगर में लड़न याँ की दूरी से शक्ति चक्री दासे के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	19.63	3.34
5.	तदैव	तदैव	ज०० याजदारी में पप्पू के मकान से श्यामधियरी के मकान होते हुये सम्मीले के मकान से भवानी शाल मंदिर तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	15.46	2.73
6.	तदैव	तदैव	ज०० जामा मार्टेज़द में औरमसद अहमद के मकान से लकड़ियां अद्युल हक के मकान तक हुये मजोर के मकान तक एवं आन्तरिक गतियों में इंटररलाकिंग सड़क एवं जाली निर्माण कार्य।	6.43	1.215